

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक: प.22(1)न्याय/19

जयपुर, दिनांक: 30.08.2019

:: आज्ञा ::


राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/
पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	श्री महेश कुमार गोयल	उप विधि परामर्शी कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी विधि (वादकरण) क्रिमिनल सैल, सचिवालय, जयपुर	श्री चिमन सिंह के स्थान पर
2	श्री चिमन सिंह	उप विधि परामर्शी विधि (वादकरण), क्रिमिनल सैल, सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी निदेशालय, कृषि विपणन विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
3	श्री आलोक कुमार आर्य	सहायक विधि परामर्शी विधि (सिविल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी पद के विरुद्ध श्री महेश गोयल के स्थान पर
4	श्री चन्द्र शेखर गौड सहायक विधि परामर्शी	सहायक विधि परामर्शी वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	उप विधि परामर्शी निदेशक कोष एवं लेखा जयपुर	उप विधि परामर्शी के रिक्त पद के विरुद्ध
5	राजीव कुमार गर्ग	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय कोटा (स्थानान्तरणधीन)	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय, प्रतापगढ़	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
6	सत्यनारायण पालीवाल	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय, बारां (स्थानान्तरणधीन)	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय, कोटा	यथावत
7	मंजू बाला किराडू	सहायक विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ), शासन सचिवालय, जयपुर। (स्थानान्तरणधीन)	सहायक विधि परामर्शी, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
8	श्री सुरेश अग्रवाल	वरिष्ठ विधि अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर	श्री मनोज कुमार बंशीवाल के स्थान पर
9	श्री मनोज कुमार बंशीवाल	वरिष्ठ विधि अधिकारी राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	श्री सुरेश अग्रवाल के स्थान पर

आज्ञा से

30.8.19
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


30.8.14

संयुक्त शासन सचिव